

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 20.6.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening and Strengthening in 0 to 0.300 and 14th to 21 Km (Total Length - 8.30 Km) of Purnea- Srinagar Road for the year 2017-18 under CRF. के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1659(ई0) दिनांक 07.03.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-1584(अनु0) दिनांक 08.05.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत है :-

- | | | |
|---|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening and Strengthening in 0 to 0.300 and 14th to 21 Km (Total Length - 8.30 Km) of Purnea- Srinagar Road for the year 2017-18 under CRF. |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1210.13 लाख।
विभागीय पत्रांक-9125(एस0) दिनांक 17.10.2017 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1133.17 लाख।
मु0अभि0, उ0बि0उ0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3030(अनु0) दिनांक 30.10.2017 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹9,96,44,000.00 |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 months |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (\$BD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 20.11.2017 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 06 (छः) अदद यथा:- |
| (i) H.S. Mehta Infra Pvt. Ltd.
104, LIC Colony, Vaishali Nagar,
Ajmer, Rajasthan. | (ii) M/s Narsingh Construction,
Gangjala, Saharsa. | |
| (iii) M/s Simanchal Construction,
Ashram Chowk, Araria. | (iv) Sanjeet Kumar,
Vill+P.O.- Utrain, Dist- Gaya. | |
| (v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.,
Ambedkar Chowk, Mirchaibar.,
Katihar. | (vi) Umakant Singh,
Officer's Colony, Mirchaibari, Katihar. | |
| 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग | : | प्र0-7/निविदा-06-36/2018-1659(ई0)
दिनांक 07.03.2018 |

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-

- (i) M/s Narsingh Construction, Gangjala, Saharsa. (ii) M/s Simanchal Construction, Ashram Chowk, Araria.
- (iii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Ambedkar Chowk, Mirchaibari, Katihar. (iv) Umakant Singh, Officer's Colony, Mirchaibari, Katihar.

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

3.1 विषयांकित कार्य के निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक 07.03.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद का दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति में निपटारे के उपरान्त सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल चार निविदाकारों का उद्धृत दर एवं न्यूनतम दर वाले निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1	M/s Narsingh Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹8,96,79,600.00
2	M/s Simanchal Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹8,96,79,600.00
3	Umakant Singh	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹8,96,79,600.00
4	Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹8,96,79,600.00

इस प्रकार चार निविदाकारों का उद्धृत दर एक समान एवं न्यूनतम है, जो परिमाण विपत्र के दर से 10% कम है। निविदाकारों द्वारा न्यूनतम उद्धृत दर पर कार्य की निविदित राशि ₹8,96,79,600.00 (आठ करोड़ छियानवे लाख उनासी हजार छः सौ) मात्र होती है। समान न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले चार निविदाकारों के बीच लॉटरी कर, लॉटरी में सफल निविदाकार के पक्ष में निविदा निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।

4. निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक-4172 दिनांक 27.04.2018 द्वारा एक वर्ष के लिये निविदा में भाग लेने से निलंबित करने के कारण विभागीय पत्रांक-3534(ई०) दिनांक 23.05.2018 द्वारा मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग से वित्तीय बीड की अनुशंसा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-1789(अनु०) दिनांक 25.05.2018 द्वारा निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को लॉटरी में भाग लेने से वंचित कर शेष तीन निविदाकारों के बीच लॉटरी करने की अनुशंसा की गई।

5. निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. के निदेशक गौरव अग्रवाल ने अपने पत्रांक-TIPPL/77/2018 दिनांक 26.05.2018 द्वारा CWJC No.9127/2018 में दिनांक 16.05.2018 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुये सूचित किया है कि भवन निर्माण विभाग निलंबन आदेश-सह-पठित-ज्ञापांक-4172 दिनांक 27.04.2018 को खारिज कर दिया गया है।

6. CWJC No.9127/2018 (M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 16.05.2018 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

"6. In this view of the matter, the impugned order dated 27.04.2018 is hereby quashed and the matter once again remanded to the Engineer-in-Chief cum Additional Commissioner cum Special Secretary, Department of Building Construction, (Respondent No.3) for passing orders afresh after due consideration of the reply of the petitioner in accordance with law.


7. The writ petition accordingly stands allowed with the aforesaid observations and directions."


* E ABL JL R Ca 20.6.18 Page 2 of 3


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 CWJC No.9127/2018 (M/s Topline Infra Projects Pvt. Ltd. बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 16.05.2018 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न Draw of lots में अन्य निविदाकारों के साथ निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है। बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न Draw of lots में Topline Infra Projects Pvt.Ltd., Ambedkar Chowk, Mirchaibari, Katihar सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, पूर्णियों के अन्तर्गत Widening and Strengthening in 0 to 0.300 and 14th to 21 Km (Total Length - 8.30 Km) of Purnea- Srinagar Road for the year 2017-18 under CRF. के कार्य में Topline Infra Projects Pvt.Ltd., Ambedkar Chowk, Mirchaibari, Katihar को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹8,96,79,600.00 (आठ करोड़ छियानवे लाख उनासी हजार छः सौ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


20/06/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या०),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


20/06/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


20/6/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


20/6/18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-36/2018

4313 (E)

पटना, दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/6/18
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

A T ABP